न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 124–पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 297/अपील/1991–92 ।

.....

सीताराम पुत्र किशनलाल जाटव
निवासी ग्राम सुपावली परगना व जिला
ग्वालियर

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री आर0पी0पालीवाल, अभिभाषक–प्रत्यर्थी

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/11/11 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी के ग्राम सुपावली में मछली पालन हेतु सर्वे नम्बर 301/2 भूमि का पटटा 5 वर्ष के लिये दिये गया था,

अवधि समाप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा अवधि बढाये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा जॉच में पटटे की शर्तो का उल्लघंन पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 6–4–1992 को आदेश पारित कर पटटे की शर्तो का उल्लघंन पाते हुये प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–10–2001 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवधि समाप्त होने के बाद अपीलार्थी द्वारा पटटे की अवधि बढाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा पटटा निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने पर प्रयास किया गया और ऋण नहीं मिलने के कारण मछली पालन नहीं किया जा सका । अतः इससे पटटे की शर्तो का उल्लंघन नहीं होता है यदि अपीलार्थी को ऋण प्राप्त हो जाता है तब वह मछली पालन का उद्योग प्रारंभ कर सकेगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष केवल अवधि बढाने का बिन्दु विचारणीय था, परन्तु उनके द्वारा भूमि शासकीय घोषित करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा मछली पालन उद्योग के लिये भूमि पटटे पर प्राप्त की गई थी और मछली पालन नहीं करने से पटटे की शर्तो का उल्लघंन हुआ है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि शासकीय घोषित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और उनके आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई जॉच में अपीलार्थी द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लंघन किया जाना स्पष्टतः प्रमाणित हुआ है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और उनके आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2001 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर